

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

सुकदमा नं. 162/2022

जीसीएमएस नं. 2022/326

उनवानी :- मोहन व अन्य बनाम राक्षेयाम व अन्य

दिनांक	20.05.2026
फर्द अहकाम	पनावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। वकील राजीनामा हो गया है। इसलिये सुकदमा को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। NOT PRESS में खारिज कराना चाहते हैं। इसलिये सुकदमा नं. 162/2022 उनवानी महफूज बनाम कलन व अन्य दावा बाबत इन्टरन डुकरती घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निर्वेदाशा को NOT PRESS में खारिज किया जाता है। पनावली फूसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो। आदेश खले न्यायालय में सुनाया गया। (हिमराज गजूर) उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली